Office of The Commissioner Devasthan Department Rajasthan Udaipur
Contact no.-0294-2524813 (PBX No.) ,2423440(Fax No.), 2417844
E-mail id devasthan@hotmail.com , hq.dev@rajasthan.gov.in

No-F7(35)/Acct./Nirman/Dev/Budget Announcement/2017-18 //325 **Date:-** 19-1-18

EOI No/GOR/DEV/ 1/2018/

Expression of Interest

Expression of interest is invited from eligible reputed, experienced and bonafide online hotel booking sites and travel agencies for arrangement of rooms for pilgrims and devotees coming from Rajasthan to Tirupati Balaji (Andhra Pradesh) and Badrinath dham (Uttarakhand). Details, terms and conditions can be seen on devasthan department website www.devasthan.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan .gov.in

IMPORTANT DATES

1. Last date & time for submission of suggestions 05-02-2018, 6.00 p.m. at Commissioner Devasthan department office, Meera marg, Udaipur
2. Date , time & venue for EOI Meeting 15-02-2018 , 11.00 a.m. at Commissioner Devasthan department office, Meera marg, Udaipur

Copy of the suggestions may also be submitted to our email-id devasthan@hotmail.com

Commissioner
Devasthan Department
Rajasthan - Udaipur

Not to be published

Copy for necessary action:- 1325-34 / 19-1-18,

1. District collector, District tirumula (Andhra Pradesh)/District chamoli (Uttarakhand) for notice board.
2. Director DIPR Jaipur with the request kindly arrange to publish the above mention E.O.I. in leading one State level newspaper of Trimula district in Andhra Pradesh state , one State level newspaper of chamoli in Uttarakhand state, one State level newspaper of Delhi , one State level newspaper of Jaipur in Rajasthan and only one local daily news paper at the earliest.**This letter is not to be sent seperately by post.**
3. Secretery Devasthan department Jaipur with referece to his letter number P4(26) Dev/2017/Jaipur date 01/11/2017.
4. Joint Secretery Devasthan department Jaipur.
5. Assistant information officer devasthan department head quarter Udaipur to upload enclosed terms and conditions on department website and SPPP.
6. Assistant commissioner devasthan department rishabhdev/Vrindavanwith directions to send their input and suggestion on this subject. So that it can be incorporated in bid document.
7. Temple board Tirupati balaji (Andhra Pradesh)/Badrinath dham (Uttarakhand) for notice board
8. M/S...

Commissioner
Devasthan Department
Udaipur,Rajasthan

तिरुपति एवं बद्रीनाथ में राजस्थान के तीर्थ यात्रियों के लिए होटल बुकिंग हेतु ईओआई का प्रारूप व प्रावधान

होटल में अपेक्षित कमरे, अवधि व इनके लिए देय अधिकतम राशि–

तिरुपति एवं बद्रीनाथ में राजस्थान के तीर्थ यात्रियों के लिए होटल बुकिंग हेतुलोकप्रिय पोर्टल/वेबसाईट/ से इच्छुक रूचि रखने वाली फर्म से निम्नानुसार देय राशि पर अभिरूचि के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाएंगे–

क्र.सं.	कक्ष का स्वरूप	कक्ष की अधिकतम दैनिक संख्या	माह में अधिकतम दिवस संख्या	अन्य	अधिकतमदेय राशि प्रति दिन/प्रति कमरा/बेड
1	कमरा	10	20	डबल बेड	900 रूपये

नोट–

1 इसमें एक तिहाई राशि का व्ययभार आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा और शेष दो तिहाई राशि का व्ययभार देवस्थान विभाग द्वारा। कमरे के लिए देय राशिडबल बेड कमरे के लिए है। कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड होने पर अधिकतम 300 रुपये तक की राशि देय होगी। इसमें इस अतिरिक्त राशि के व्ययभार में भी एक तिहाई राशि का वहन यात्री द्वारा किया जाएगा।

2 देवस्थान विभाग द्वारा प्रति माह अधिकतम20 दिवस की बुकिंग की जायेगी। तीर्थ यात्री को माह में शनिवार व रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में ही रहने की सुविधा होगी। एक तीर्थ यात्री किसी स्थान पर अधिकतम 3 दिन तक रुकने हेतु पात्र होगा। इससे अधिक दिन रुकने पर केवल 3 दिन हेतु ही पुनर्भरण किया जाएगा।

3 तिरुपति हेतु यह बुकिंग 1 वर्ष के लिए अनुमत होगी तथा बद्रीनाथ में 6 माह के लिए। बद्रीनाथ में सामान्यतः अक्टूबर से अप्रेल तक कपाट बंद रहने से इस अवधि हेतु कोई बुकिंग नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई राशि देय होगी।

4 इस हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कमरे की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा, जो प्रति 3 माह पर किया जायेगा।

विश्राम हेतु आने व रुकने वाले के लिए प्रक्रिया :–

1 रूचि रखने वाली फर्म अपनी बुकिंग के लिए जिस ऑनलाईन कॉमर्शियल पोर्टल का उपयोग करता है उसे देवस्थान विभाग के पोर्टल से इंटीग्रेशन करना होगा। रूचि रखने वाली फर्म को देवस्थान विभाग, राजस्थान द्वारा की जाने वाली बुकिंग हेतु विभाग का पोर्टल यूजर नेम के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर उसे ऑनलाईन रूप में बुकिंग से अवगत कराया जाएगा। राजस्थान से जाने वाले यात्रियों के संबंध में बुकिंग हेतु होटल को ऑनलाईन पोर्टल पर तत्काल अवगत करा दिया जाएगा।

2 ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी में उपलब्ध किसी भी होटल का चयन करने हेतु आवेदक स्वतंत्र रहेगा।

3 इसमें पात्र पाये जाने पर विभाग के निर्णयानुसार एक से अधिक एजेन्सी को भी पैनल में सुविधा हेतु मान्य किया जा सकता है। यह सामान्यतः निविदा के समय उसे अंतिम रूप देते समय किया जाएगा।

4 यदि बुकिंग के उपरान्त बुकिंग तिथि से 7 दिवस के भीतर कोई बुकिंग कैन्सिल होती है तो उसका कोई भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। तदुपरान्त होने वाले किसी कैन्सिलेशन की स्थिति में विभाग द्वारा 25 प्रतिशत राशि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। कैन्सिलेशन की स्थिति में होटल के संचालक निर्धारित/ आरक्षित कमरे को स्वयं के स्तर पर बुकिंग हेतु सक्षम होगा।

रूचि रखने वाली फर्म की पात्रता संबंधी शर्तें–

1 ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी को न्यूनतम 1 वर्ष पुराना और न्यूनतम 2 करोड़ वार्षिक टर्न–ओवर वाला होना चाहिए।

2 ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी का स्मार्टफोन हेतु एंड्रोयड तथा आईओएस ऐप होना चाहिए।

3 ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी की वेबसाइट का वार्षिक विजिट न्यूनतम 5 लाख होना चाहिए।

4 ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी का भारत में कार्यालय व राजस्थान में प्रभारी अधिकारी होना चाहिए।

5 ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी को राजकीय नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।

होटल में सुविधा संबंधी शर्तें–

6 होटल में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होगी, परन्तु वहां भोजन व्यवस्था किसी भी प्रकार से रूकने वाले के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

7 होटल में न्यूनतम 2 जीप/कार के पार्किंग की व्यवस्था होगी।

8 रूचि रखने वाली फर्म से निविदा उपरांत अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जायेगा, किन्तु समीक्षा के उपरान्त यदि ऑनलाईन होटल बुकिंग साईट्स/ ट्रैवेल एजेंसी द्वारा संचालन को उपयुक्त नहीं पाया गया, तो उसे निरस्त किया जा सकेगा।

9 रूचि रखने वाली फर्म को स्वयं के स्तर पर होटल में रूकने वालों के लिए शाकाहारी भोजन सामग्री की व्यवस्था रखेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देना होगा।

10 रूचि रखने वाली फर्म को संपदा में निम्न चीजें रखनी आवश्यक होंगी–

- रिसेप्शन काउंटर की उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
- ऑनलाईन शिकायत/फीडबैक पुस्तिका
- कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)

11 प्रत्येक रूकने वाले यात्री को निम्न रूप में सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी–

- प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
- ब्लेंकेट या रजाई
- एक बडा तौलिया और दो छोटे तौलिए
- बाथरूम सोप
- बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट–रग)

12 उक्त के अतिरिक्त रूचि रखने वाली फर्म स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त रूप से निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। रूचि रखने वाली फर्म द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है, तो वह यात्री के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

तिरुपति बालाजी एवं बद्रीनाथ में राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं को धर्मशालाओं/विश्रामगृहों में आवास व्यवस्था योजना वर्ष 2017–18

उद्देश्य–

इस योजना का उद्देश्य तिरुपति बालाजी एवं बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा पर जाने वाले राजस्थान प्रदेश के यात्रियों को वर्ष 2017–18 में धर्मशाला में ठहरने हेतु सुविधा उपलब्ध कराना है।

योजना के लिये पात्रता–

1. तीर्थ यात्री राजस्थान का मूल निवासी हो
2. मूल आवेदक 21 वर्ष से कम आयु का न हो। उसके साथ बच्चे अनुमत होंगे। एक परिवार से अधिकतम 6 लोग यात्रा में रूकने हेतु पात्र होंगे। परिवार की गणना में पति–पत्नी, माता–पिता व बच्चे सम्मिलित होंगे।
3. आयकरदाता न हों।
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी यात्रा के पात्र नहीं होंगे।
5. भिक्षावृति पर जीवनयापन करने वाले योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. आवेदक को भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड का धारक होना अनिवार्य है।

आवेदन तथा चयन की प्रक्रिया–

7. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। इसमें आवेदक को यात्रा से न्यूनतम एक माह पूर्व आवेदन कर देना होगा। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदनों में केवल स्थान की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।
8. तीर्थयात्रीको माह में शनिवार व रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में ही रहने की सुविधा होगी। एक तीर्थयात्री किसी स्थान पर अधिकतम 3 दिन तक रुकने हेतु पात्र होगा। इससे अधिक दिन रुकने पर केवल 3 दिन हेतु ही पुनर्भरण किया जाएगा।

9. प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को यात्रा से न्यूनतम एक माह पूर्व आवेदन कर चुके आवेदकों के अनुमोदन की सूची विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी और आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि किसी माह में आवेदकों की संख्या अधिक है, तो उसमें आवेदन क्रम के अनुसार चयन किया जाएगा।

10. आवेदक को आवेदन के साथ अपना किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक अकाउंट नम्बर डालना होगा।

11. तीर्थयात्री द्वारा एक तिहाई व्ययभार स्वयं वहन किया जाएगा और शेष दो तिहाई व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

12. आवेदन हेतु आवेदक से 50 रूपये का शुल्क लिया जाएगा, जो यात्रा की समाप्ति पर आवेदक द्वारा दी जाने वाली राशि में एडजस्ट हो जाएगी। आवेदक का चयन न होने पर देवस्थान विभाग द्वारा उसके निर्धारित बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। यदि आवेदक चयन के उपरान्त यात्रा नहीं करता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

13. तीर्थयात्री द्वारा तिरुपति बालाजी एवं बद्रीनाथ की यात्रा में रूकने की पुष्टि के रूप में मोबाईल नंबर पर ओटीपी आधारित सत्यापन करना होगा। इस हेतु अनुबंधकर्ता फर्म उस तीर्थ यात्री के एंट्री के समय यह सत्यापन सुनिश्चित करेगा।

14. आवेदक को यात्रा में रूकने के उपरान्त उसे फीडबेक हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

15. गलत सूचना देकर लाभ प्राप्त करने की स्थिति में आवेदक से राशि की वसूली की जाएगी।